



राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-रकींग, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/94872

दिनांक: 01/11/2022

कार्यालय आदेश

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के समयवद्ध क्रियान्वयन हेतु समस्त नगरीय निकायों में नव नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस मैनेजर एवं शहरी रोजगार सहायक एवं संभाग स्तर के समस्त आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, अधीक्षण अभियंता, अधिकाधी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखाधिकारी/लेखाकारों का प्रशिक्षण कार्यशाला संभाग मुख्यालय पर अंकित दिनांक को निम्नानुसार किया जाना है:-

क्र. सं.	संभाग	जिला	प्रशिक्षण की दिनांक	समय
1	अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक	09.11.2022	प्रातः 10:00 से
2	कोटा	बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़	11.11.2022	
3	जयपुर	जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर	15.11.2022	
4	उदयपुर	उदयपुर, बंसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद	18.11.2022	
5	जोधपुर	जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही	22.11.2022	
6	बीकानेर	बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर	24.11.2022	
7	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर	29.11.2022	

उक्त कार्यशाला में राज्य स्तर से मुख्य अभियंता (IRGY-U), अधीक्षण अभियंता, मुख्य लेखाधिकारी एवं सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा पोर्टल एवं योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जावेगा। समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशक इस कार्यशाला हेतु उपयुक्त स्थान का चयन करें, जहां पर पर्याप्त बैठक, एलईडी स्क्रीन, माईक इत्यादि की व्यवस्था एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। निदेशालय स्तर से प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों के द्वारा प्रयुक्त टैक्सी वाहन के भुगतान स्वीकृति मुख्यालय की नगरीय निकाय द्वारा किये जाने की एतद् प्रदान की जाती है।

(हृदयेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 01/11/2022

क्रमांक: एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/94873-95132

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता (IRGY)/अधीक्षण अभियंता/वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जाकर प्रशिक्षण दिये जाने बाबत।
5. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यशाला में आपके क्षेत्राधिकार से संबंधित समस्त नगरीय निकायों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यशाला के दौरान अल्पाहार एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था संबंधित नगर निगम से करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
7. प्रबंधक, सर्किट हाउस कोटा/भरतपुर/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर को प्रस्तावित दिनांक को मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं लेखाधिकारी के लिए कमरों का आरक्षण किये जाने वावत।
8. सुरक्षित पत्रावली।

24/11/2022
मुख्य अभियंता (IRGY)